

श्रीमती सेवा शिविर-2025 वा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर रायसिंहनगर

333

प्रपत्र-B

दिनांक 30.10.2025

--आदेश--

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी व
 भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नायब तहसीलदार
 की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 196 के
 अनुसरण में ग्राम 18PTDA तहसील जिला की जमाबंदी
 सम्वत में खाता संख्या 09 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से
 शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क0सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01.	18PTDA	09	खजान सिट्टी, रामन सिट्टी, OBC शाखा लेफ्टा केडी	खजान सिट्टी, रामन सिट्टी, PNB शाखा लेफ्टा केडी

उपखण्ड अधिकारी एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 पदेन सहायक कलेक्टर
 रायसिंहनगर

दिनांक:- 30.10.25

कमांक:- 334-335

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 पदेन सहायक कलेक्टर
 रायसिंहनगर

